

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'नौ'

[7/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 1285]

विशाल खन्ना इतरागवेल परत कु. 1285 का प्रश्न

सं. 32- मार्च - 2017

परिशिष्ट - 1

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

कमांक / 1247 / 2016 / 10-2

दिनांक / 06 / 2016

// आदेश //

कमांक 1247/2016/10-2 राज्य शासन एतद् द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 12 (bb) के अंतर्गत नीमच, उज्जैन, छतरपुर, एवं मंदसौर जिले में 50 नीलगाय को राजस्व क्षेत्र से पकडकर वन क्षेत्र में स्थानांतरित किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है। स्थानांतरित किये जाने वाले वन्यप्राणियों के स्वास्थ्य की जाँच, स्थानांतरण के पूर्व कराई जावे।

(संजय मोहरीर)

अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग
मंत्रालय भोपाल

दिनांक 13/06/2016


पृ कमांक 1356 / 1247 / 2016 / 10-2

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, प्राधिकरण बीकानेर हाउस, एनेक्सी-5 शाहजहां रोड नई दिल्ली।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल।
5. मुख्य वन संरक्षक उज्जैन/छतरपुर।
6. वनमण्डलाधिकारी नीमच/उज्जैन/छतरपुर/मंदसौर।
7. गार्ड फाईल।

अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग
मंत्रालय भोपाल



म.प्र. शासन
वन विभाग (क. 1285)
मंत्रालय: भोपाल

S-1
T-2

P.F. (W.L.)
(M.P.)

15/6
14/6